फा. स. : 5–11/2022–23 परिरक्षण
भारत सरकार
राष्ट्रीय अभिलेखागार, क्षेत्रीय कार्यालय
सिविल लाईन्स, भोपाल – 462002

''अनुपयोगी/निराकृत सामान की नीलामी सूचना''

राष्ट्रीय अभिलेखागार, क्षेत्रीय कार्यालय, सिविल लाईन्स, भोपाल में विभिन्न प्रकार के नकारा/अनुपयोगी सामान जिसमें लेमिनेटर, स्टैंड वाले पंखे, कूलर, फोटोकॉपी मशीन, कम्प्यूटर, प्रिंटर, फैक्स मशीन, वेक्यूम क्लीनर, प्रेस, प्लास्टिक कुर्सिया, जालियाँ आदि सामान ''जो है जहाँ है जैसा है'' के आधार पर निपटारा करने हेतु दिनांक 24.02.2023 से 02.03.2023 को दोपहर 3:00 बजे तक सील बन्द निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा, निराकृत सामान की नीलामी से संबंधित विस्तृत विवरण, नियम व शर्तें राष्ट्रीय अभिलेखागार, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/विभाग की वेबसाइट http://nationalarchives.nic.in/ पर अवलोकित की जा सकती है।

सहायक अभिलेख निदेशक
राष्ट्रीय अभिलेखागार,
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल।

नीलामी के नियम व शर्ते

1.– राष्ट्रीय अभिलेखागार, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में विभिन्न प्रकार का नकारा/अनुयोगी सामान जिसमें फर्नीचर सामान जो के damaged, unserviceable & unrepairable है का ''जो है जहाँ है जैसा है'' के आधार पर उच्चतम दर की निविदा स्वीकार हो जाने एवं नियमान्तर्गत वस्तु एवं सेवा कर (G.S.T.) का भुगतान करने के आधार पर ही हस्तांतरित किया जाएगा।

2.– निविदादाता को निविदा भरते समय आवश्यक संपूर्ण विवरण जिसमे फोटोयुक्त पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, फर्म का G.S.T विवरण, सुस्पष्ट अंकन हस्ताक्षर सहित सुनिश्चित करने चाहिए, जिसके अभाव मे निविदा अस्वीकार हो सकती है।

3.– निविदादाता द्वारा निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व निविदा की धरोहर राशि के निमित्त रूपये **10,000/–** मात्र का नकद भुगतान विभाग के रोकडिया को जमा कराकर प्राप्त रसीद की प्रति निविदा में संलग्न करने पर ही निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित की जाएगी अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।

4.– अधिकतम निविदा के प्रस्ताव में नियमान्तर्गत वस्तु एवं सेवा कर (G.S.T.) का भुगतान सम्मिलित माना जाएगा, जिसे अधिकतम बोलीदाता को ही जमा कराकर रसीद प्रस्तुत करनी होगी। जिसके अभाव में निविदा निरस्त मानी जाकर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

5.– इच्छुक निविदाकर्ता नीलामी प्रस्ताव हेतु रखे सामान का अवलोकन (सूचि सहित) दिनांक 24.02.2023 से दिनांक.02.03.2023 तक की कार्य दिवस अवधि में प्रातः 10:00 से 5:00 के दौरान कर सकते हैं।

6.– निविदा पत्र प्रस्तुत किए किए जाने वाले लिफाफे के ऊपर '' राष्ट्रीय अभिलेखागार, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में अनुपयोगी सामान की नीलामी के लिए निविदा 2023'' अवश्य लिखा होना चाहिए एवं निविदाऐं दिनांक 02.03.2023 तक सहायक निदेशक राष्ट्रीय अभिलेखागार, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में डाली जा सकती है।

7.– प्राप्त निविदाऐं अगले कार्य दिवस दिनांक 03.03.2023 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी। डाक संबंधी विलम्ब के लिए विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

7284/2023/Bhopal

8.– निविदाऐं विभाग के न्युनतम निर्धारित मुल्य से कम होने की स्थिति में निविदा प्रकिया निरस्त करते का अधिकार सहायक निदेशक राष्ट्रीय अभिलेखागार, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल को होगा।

9.– नीलाम किया जाने वाला सामान राष्ट्रीय अभिलेखागार, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में ''जो है जहाँ है जैसा है'' के आधार पर अधिकतम दर की निविदा स्वीकार करने के आधार पर ही किया जाएगा व निविदा स्वीकार हो जाने के उपरांत संपूर्ण राशि दो कार्य दिवसों में राष्ट्रीय अभिलेखागार, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के रोकडिये को नकद में जमा करानी होगी। यदि अधिकतम स्वीकृत निविदादाता निर्धारित अवधि में सम्पुर्ण राशि जमा कराने में असफल है तो उसकी निविदा निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर जी जावेगी।

10.– नीलामी की संपूर्ण राशि जमा हो जाने के उपरांत निविदादाता द्वारा आगामी पाँच कार्य दिवसों में नीलामीशुदा सामान उठाना अनिवार्य होगा अन्यथा पाँच कार्य दिवस उपरांत राष्ट्रीय अभिलेखागार, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में पडे नीलामीशुदा सामान पर निविदादाता द्वारा कोई दावा मान्य नहीं होगा व धरोहर राशि जब्त कर जी जायेगी।

11.– निविदा सूचना संबंधित विवरण एवं नियम व शर्तों के संबंध में राष्ट्रीय अभिलेखागार, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल से जानकारी प्राप्त की जा सकती है अथवा विभाग की वेबसाईट http://nationalarchives.nic.in पर भी अवलोकन किया जा सकता है।

12.– किसी भी निविदा को औपचारिकता पूर्ण ना होने के कारण अथवा स्वीकार/अस्वीकार/स्थगत/निरस्त करने के पूर्ण अधिकार सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के पास सुरक्षित रहेंगे।

13.– राष्ट्रीय अभिलेखागार, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल पर निविदा खोले जाते समय कानून एवं व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य होगा।

सहायक अभिलेख निदेशक
राष्ट्रीय अभिलेखागार,
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल